"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 अप्रैल 2017—— चैत्र 11 , शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-50/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/2370 रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

विष्णुदास पनिका, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2014, नगर पंचायत, नई लेदरी, जिला कोरिया, छ.ग.

आदेश
(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 28 मार्च 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 26 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत, नई लेदरी, जिला कोरिया के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 2 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 26-2-2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित जानकारी में नगर पंचायत नई लेदरी के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका द्वारा दिनांक 3-1-2015 को दाखिल किये गये निर्वाचन व्यय लेखा को निर्धारित समयसीमा में दाखिल किया जाना दर्शाया गया.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों विष्णुदास पनिका को दिनांक 27-7-2015 को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका को दिनांक 3-6-2016 को तामील की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका ने अपना जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की पावती एवं शपथ-पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 16-6-2016 को प्रस्तुत किया. जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया था कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30-1-2015 को प्राधिकृत अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर दिया था. अभ्यर्थी ने आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में भी अपने जवाब की पुष्टि की. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा पत्र क्रमांक 191/न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2016, दिनांक 31-1-2017 में अभिमत दिया गया है कि अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30-1-2015 को समयसीमा के अन्दर नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा पत्र क्रमांक 45/न.पा.आ.नि./व्यय लेखा/2015, दिनांक 21-6-2016 के साथ संशोधित परिशिष्ट-36 में प्रतिवेदित किया गया की अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका द्वारा दिनांक 30-1-2015 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किया गया है. जो कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 26-2-2015 परिशिष्ट-36 में टंकण की त्रुटिवश दिनांक 3-1-2015 उल्लेखित किया गया था.

6. अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था परन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के ज्ञापन दिनांक 26-2-2015 में इसे दिनांक 4-2-2015 उल्लेखित किया गया है.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत नई लेदरी के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अंदर दिनांक 30-1-2015 को अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल कर दिया था परन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा प्रथम बार दिनांक 26-2-2015 को प्रेषित परिशिष्ट-36 में टंकण की त्रुटिवश यह दिनांक 3-1-2015 सूचित किया गया. इसे उन्होंने अपने संशोधित परिशिष्ट-36 में जानकारी प्रतिवेदित कर स्वीकार किया है तथा अभिमत में भी अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्रस्तुत करना उल्लेखित किया है. अत: अभ्यर्थी विष्णुदास पनिका के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया को संसूचित किया जावे कि अपने कार्यालय को भविष्य में सावधानी बरतने हेतु निर्देशित करें. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 28 मार्च, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.